रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 1991/भाद्र 13, 1913
No. 322] NEW DELHI: WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1991/BHADRA 13, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1991

सा. का. नि. 557 (अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख), (ङ) तथा (घ) तथा धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया विधि) नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया विधि) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1991 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया विधि) नियमावली, 1987 में नियम 17 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"17. पुनरीक्षण के लिए आवेदन:—

(1) कोई भी आवेदन पुनरीक्षण के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक यह आवेदन पुनरीक्षण की मांग किए जाने वाले आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर न किया गया हो।

(2) पुनरीक्षण आवेदन पर सामान्यतः उसी खण्डपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी जिसने आदेश पारित किया है जब तक कि अध्यक्ष लिखित रूप में कारण दर्ज करके किसी दूसरी खण्डपीठ द्वारा सुनवाई करने का निदेश नहीं देता।

(3) जब तक संबंधित खण्डपीठ द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता, पुनरीक्षण आवेदन पर कार्रवाई परिचालन करके की जाएगी और खण्डपीठ आवेदन को खारिज भी कर सकती है अथवा विरोधी पार्टी को नोटिस जारी कर सकती है।

(4) जब किसी निर्णय अथवा आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन दिया गया है और उस पर कार्रवाई हो

तो उसी मामले में पुनरीक्षण के लिए आगे कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके समर्थन में विधिवत सशपथ शपथपत्र न दिया गया है और इसमें जानकारी का निजी अथवा अन्यथा तथा ऐसा स्रोत भी दिखाया गया हो जिसकी सौगध विधि परामर्श के आधार पर ली गई है । पुनरीक्षण आवेदन में जवाबी शपथपत्र भी विधिवत सशपथ होंगे जबकि किसी तथ्य का प्रमाण विवादपूर्ण हो" ।

सं. ए.-11019/44/87-ए. टी.]

एस. कुमार, निदेशक (ए.टी.)

टिप्पणी:—मूल्य नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 17 (ई) दिनांक 6-1-87 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा बाद में सा. का. नि० 10000 (ई) दिनांक 11-10-87 तथा सा. का. नि. 99 (ई) दिनांक 26-2-91 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1991

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely :—

"17. Application for review :—

(1) No application for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of receipt of copy of the order sought to be reviewed.

(2) A review application shall ordinarily be heard by the same Bench which has passed the order, unless the Chairman may, for reasons to be recorded in writing, direct it to be heard by any other Bench.

(3) Unless otherwise ordered by the Bench concerned, a review application shall be disposed of by circulation and the Bench may either dismiss the application or direct notice to the opposite party.

(4) Where an application for review of any judgement or order has been made and disposed of, no further application for review shall be entertained in the same matter.

(5) No application for review shall be entertained unless it is supported by a duly sworn affidavit indicating therein the source of knowledge, personal or otherwise, and also those which are sworn on the basis of the legal advice. The counter affidavit in review application will also be a duly sworn affidavit wherever any averment of fact is disputed."

[No. A-11019/44/87-AT]

S. KUMAR, Director (AT)

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 17(E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide GSR 1000(E), 11-10-1987 and GSR 99(E), dated 26-2-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991